ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला, जयपुर

(जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, जयपुर जिला, जयपुर)
फोन :– 0141–2203090 ईमेलः dlsa18jaipur district@gmail.com

क्रमांक / सामान्य / 2024–2025 / 01/2025 दिनांक :–11/02/2025

::विज्ञप्ति::

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेश क्रमांक 65 दिनांक 04.02.2025 के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला, जयपुर के न्यायक्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला जयपुर मुख्यालय हेतु 04 पद, 06 तालुका विधिक सेवा समिति सेवा समिति, कोटपूतली, शाहपुरा, सांभरलेक, चौमू दूदू व विराटनगर पर एक–एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कुल 06 पद व स्थायी लोक अदालत, जयपुर जिला–जयपुर हेतु 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद के विरूद्ध कुल 12 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवायें राजस्थान सरकार विधि विभाग की आज्ञा संख्या प. 08(1) विधि–2 / विरसं(64) / 2015 पार्ट 2 दिनांक 22.01.2025 के निर्देशानुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र एवं संविदा सेवाओं के संबंध में वित विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के दिशा–निर्देशों के अधीन सेवानिवृत कर्मचारियों का नियुक्त करने हेतु न्याय विभाग व अन्य राजकीय विभागों के सेवानिवृत कर्मचारियों को दिनांक 31.03.2026 तक अथवा नियमित भर्ती होने तक जो भी पूर्व में हो के लिए कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 एवं 14.11.2018 तथा संविदा सेवाओं के सबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के दिशा निर्देशों के अनुसार ली जानी हैः–

इच्छुक आवेदक निम्न शर्तो अनुसार अपना आवेदन पत्र प्रेषित करें

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के अनुसार देय होगा। आवेदक को संविदा सेवा पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का विकल्प वरीयता में देना होगा।

1. राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों व विनियमों के अनुसार पारिश्रमिक देय होगा।

2. आवेदक को संविदा सेवा पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का विकल्प देना होगा।

3. उक्त संवर्ग की सेवायें राज्य सरकार व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त निर्देशों / आदेशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी।

4. उपरोक्त वर्णित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद पर उपरोक्त शर्तो के अध्यधीन सेवायें देने वाले इच्छुक कर्मचारी 18.02.2025 तक संलग्न प्रारूप में इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. आवेदक जिला न्यायालय की बेवसाइट https://districts.ecourts.gov.in/ jaipur से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता है।

6. आवेदक दिनांक 18.02.2025 के पश्चात् आगामी निर्देशों की जानकारी हेतु कार्यालय के नोटिस बोर्ड व जिला न्यायालय की बेवसाइट का अवलोकन नियमित रूप से करें।

7. आवेदन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या डाक द्वारा भिजवायें जा सकते है। नियत समय पश्चात प्राप्त डाक पर विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश)
जयपुर जिला, जयपुर

क्रमांक / सामान्य / 2024–2025 / 01/1391-1473 दिनांक :– 11 / 02 / 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, समस्त राजस्थान।
3. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयुपर।
4. तालुका विधिक सेवा समिति कोटपूतली / शाहपुरा / सांभरलेक / चौमू / दूदू / विराटनगर जयपुर जिला।
5. जिला नियोजन अधिकारी, जयपुर।
6. सिस्टम आफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर जिला को जिला न्यायालय, जयपुर जिला की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय व कार्यालय हाजा।
8. समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की आई डी पर ई–मेल।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश)
जयपुर जिला, जयपुर

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला, जयपुर

(राज्य सरकार के सेवानिवृत/कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये)

::आवेदन पत्र::

01. कर्मचारी का नाम :– ....

02. पिता/पति का नामः– ....

03. जन्म तिथिः– ....

04. पता मय मोबाईल नम्बरः– ....

....

05. आयु (दिनांक 31.03.25 को):– ....वर्ष...................माह...................दिन

06. अर्हताएः– ....

07. मूल विभाग का नामः– ....

....

08. धारित पदः– ....

09. अनुभवः– ....

....

10. मूल वेतन
(रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड–पे)
पे–स्लीप/एलपीसी संलग्न करें। ....

11. धारित पद का वेतनमान ....

(सेवानिवृत्ति के समय)

12. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)

13. विपरित प्रतिनियुक्ति हेतु वांछित स्थान का नाम वरीयता अनुसार

(1)..(2)...................................(3)...

हस्ताक्षर

मय दिनांक

सेवानिवृत कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं राजस्थान राजय विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये समस्त निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक प्रतिनियुक्ति की सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :–

स्थान :–

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती . . . . पुत्र/पत्नी . . . . जो सेवानिवृत्ति से पूर्व . . . . पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती . . . . की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती . . . . रूपये . . . . मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती .. . . .अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती . . . . के विरूद्व कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्व ली जा रही है, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील